मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का उपक्रम)
5, अमरकंटक भवन, इन्दिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल–11
फोन–91755–2763060,61,62
ई–मेल:**mpusipbpl@gmail.com**

//प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन//

क्र. MPUDC/PMU/2025/6902 दिनांक 08/09/2025

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल में निम्न पद पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा से पदपूर्ति किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	प्रमुख अभियंता	01	1,41,800–2,14,700

नोटः–

1. उपरोक्त पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा से की जायेगी। उक्त पद एकल होने से म.प्र. शासन का आरक्षण नियम लागू नही होंगे।
2. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अर्थात मध्यप्रदेश शासन के विभागों/भारत सरकार के विभागों में कार्यरत अधिकारी अपने आवेदन विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक समस्त प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित कर सकेंगे।
3. संविदा अवधि अधिकतम 03 वर्ष की होगी (प्रथम बार में एक वर्ष के लिए जो मुल्यांकन पश्चात दो बार एक–एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा) अथवा 65 वर्ष की आयु सीमा तक जो भी पहले पूर्ण हो होगी।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवा निवृत्ति के समय वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा (पे–माईनस पेन्शन)।
5. संविदा नियुक्ति की दशा में आवेदक की आयु विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 जनवरी को 63 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए।
6. आवेदन पत्र दिनांक 29/09/2025 सायः 5.00 बजे तक कम्पनी कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट पता तथा मोबाईल नंबर अंकित करे ।
7. समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. न्यूनतम अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र में योजना/परियोजना, किस पद पर एवं संपादित कार्यो का स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
9. आवेदन का प्रारूप पदों के लिये न्यूनतम/वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता तथा सेवाशर्तें अनुभव संबंधी विस्तृत विवरण, कम्पनी एवं विभाग की वेबसाईट www.mpudc.co.in एवं www.mpurban.gov.in पर उपलब्ध है।
10. आवेदन के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

प्रमुख अभियंता के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

शैक्षणिक योग्यता		अनुभव		वांछनीय
न्यूनतम	वांछनीय	प्रतिनियुक्ति हेतु	संविदा हेतु	
बी.ई (सिविल) या समकक्ष	सिविल इंजीनियरिंग में एम.ई. **अथवा** एम.टेक या समकक्ष	म.प्र. शासन के किसी विभाग में कार्यरत प्रमुख अभियंता अथवा 1 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत मुख्य अभियंता। **अथवा** भारत सरकार के किसी विभाग में प्रमुख अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी। **अथवा** 1 वर्ष या उससे अधिक समय से मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी।	म.प्र. शासन के किसी विभाग में प्रमुख अभियंता के पद से सेवानिवृत्त अथवा मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें सेवा निवृत्ति के पूर्व मुख्य अभियंता के पद का 3 वर्ष का अनुभव हो। **अथवा** भारत सरकार के किसी विभाग में प्रमुख अभियंता या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त **अथवा** मुख्य अभियंता या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें सेवा निवृत्ति के पूर्व मुख्य अभियंता या समकक्ष पद का 3 वर्ष का अनुभव हो।	लोक निर्माण विभाग अथवा सड़क निर्माण की योजनाओं अथवा जलप्रदाय अथवा मलजल योजनाओं का कार्य अनुभव।

संविदा नियुक्ति की स्थिति में:–	
अर्हता हेतु आयु सीमा	विज्ञापन प्रकाशन वर्ष के 01 जनवरी को अभ्यार्थी की आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
संविदा अवधि	संविदा अवधि अधिकतम 03 वर्ष की होगी (प्रथम बार में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे मूल्यांकन पश्चात दो बार एक–एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा) **अथवा** 65 वर्ष की आयु सीमा तक, जो पहले पूर्ण हो।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

आवेदनपत्र काप्रारूप
(प्रतिनियुक्ति/संविदा के पद हेतु)

आवेदक का नवीनतम कलर फोटोग्राफ (3x4 से मी साईज)

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
5, इन्दिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर,
जोन–1, भोपाल ।

1- आवेदन का प्रकार (प्रतिनियुक्ति या संविदा) ....

2- आवेदित पद का नाम:..

3- आवेदक का नाम (हिन्दी में):..

आवेदक का नाम(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में):..

4- पिता/पति का नाम :..

5- जन्मतिथि (अंको में)............................ (शब्दों में)..

(जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करे)

6- आवेदक का पत्र व्यवहार का पता:–

....

....

स्थायी पता:–

....

....

7- दूरभाष क्र....................................मोबाईल नं. ....ई–मेल..

8- आवेदक की श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव)..

(अजा/अजजा/अपिव के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करे)

9- (अ) शैक्षणिक अर्हता (स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति लगाए):–

स.क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्ताक/पूर्णांक	प्रतिशत में

(ब) अन्य अर्हताएं/अनुभव (सत्यापित प्रति लगाए):–

स.क्र.	विभाग/संस्था का नाम	पद	अनुभव		संबंधित कार्य का विवरण
			(कब से कब तक)	कुल वर्ष	

(स) अन्य विवरण (प्रतिनियुक्ति की स्थिति में भरा जाये):–

स.क्र.	विभाग / संस्था का नाम	वर्तमान धारित पद का नाम	धारित पद का वेतनमान	धारित पद पर कार्य का अनुभव (कुल वर्ष)	संबंधित कार्य का विवरण

प्रमाणीकरण

मै यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि आवेदन में प्रस्तुत सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य व सही है। गलत पाये जाने पर मेरी सेवाये बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

दिनांकः ....

स्थानाः............................

आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः– 1. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित विस्तृत विवरण प्रथक से संलग्न किया जाये।

2. संविदा नियुक्ति हेतु किये गये आवेदनो में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रो की स्व सत्यापित प्रतिलिपियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करे।

प्रमुख अभियंता के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवा शर्तें

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी, तथा कार्यकाल 03 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूर्ण हो, लागू होगा।

2. सेवा निवृत्ति के समय वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा।

3. कार्यालयीन कार्यों के संपादन हेतु मुख्यालय से अन्यत्र शासकीय यात्रा पर भेजा जा सकता है, जिसके लिए म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में लागू नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जायेगा।

4. संविदा सेवा अवधि के दौरान एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे, तथा वह एक समय में केवल 7 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सवैतनिक अवकाश के पात्र नही होंगे।

5. अवकाश स्वीकृति करने की शक्तियॉ म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के सक्षम अधिकारी को प्राप्त होगी।

6. अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रबंध संचालक एवं मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्ण क्षमता व निष्ठा से करेंगे। कार्यालयीन समय में बिना पूर्व अनुमति एवं अवकाश के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने की दशा में सेवा आचरण नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं पारिश्रमिक से उक्त दिवस की पारिश्रमिक राशि की कटोत्री की जावेगी।

7. यह आदेश मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी अथवा नगरीय विकास एवं आवास विभाग में संविदा सेवा के नियमितिकरण अथवा सेवा जारी रखने हेतु मान्य नही होगा, यह सेवा अस्थायी होने से इस आधार पर कोई वैधानिक दावा भी अमान्य होगा।

8. संविदा पद की नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा किसी भी समय एक मास की पूर्व सूचना या एक मास की संविदा राशि का भुगतान किया जाकर समाप्त की जा सकती है।

9. किसी कदाचार या अपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने तथा अनुशासनहीनता की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा सदस्य की सेवा तत्काल प्रभाव से बिना सूचना दिए समाप्त कर दे।

10. संविदा के अधीन शासन द्वारा समय–समय पर घोषित मंहगाई भत्ते, गृहभाड़ा भत्ते इत्यादि का हकदार नही होगा और न ही उनकी मांग मान्य होगी।

11. यदि बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक मास से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जायेगी।

12. उपरोक्त संविदा शर्तों के अनुपालन में सेवा सहमति/घोषणा पत्र पर बिना शर्त हस्ताक्षर कर एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे तत्पश्चात उनकी संविदा नियुक्ति मान्य होगी।

13. उपरोक्त सेवा शर्तों में संशोधन का अधिकार प्रबंधन को होगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड